ईसीजीसी लिमिटेड
प्रधान कार्यालय : लेखा विभाग
निर्मल बिल्डिंग , 5 वीं मंजिल , नरीमन पॉइंट , मुंबई – भारत
फोन : 022-66590754; वेब साईट : www.ecgc.in; ईमेल : accounts@ecgc.in

परामर्शदाता की नियुक्ति

**सन्दर्भ सं : प्र का / लेखा /एजेंसी /2019-20**

**दिनांक 17.03.2020**

बिड आमंत्रित

1. ईसीजीसी लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई, यह निर्यात ऋण बीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, इसका पंजीकृत कार्यालय, एक्प्रेस टॉवर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 में स्थित है.

2. कम्पनी द्वारा इसमें विवरित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन ईसीजीसी लिमिटेड की कारोबार योजनाओं के मूल्यांकन के लिए पात्र परामर्शदाताओं से सील बंद बिड आमंत्रित किया जाता है.

(इस दस्तावेज़ में जहाँ भी "कम्पनी" शब्द का उपयोग किया जायेगा वहां ईसीजीसी लिमिटेड का सन्दर्भ माना जाए .

**यह टेंडर निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार एवं दर्शाए गए सन्दर्भ / अध्ययन के लिए विशिष्ट उद्देश्य से आमंत्रित किया जा रहा है**

## भाग "क" : बिड

**सन्दर्भ सं : प्र का / लेखा /एजेंसी /2019-20**

**दिनांक 17.03.2020**

### 1. बिड के लिए आमंत्रण (आई ऍफ़ बी )

1.1 बिड के विवरण निम्नानुसार हैं:

1.1.1 बिड सन्दर्भ: **सन्दर्भ सं: प्र का / लेखा /एजेंसी /2019-20 दिनांक 17.03.2020**

1.1.2 बिड प्रस्तुति के लिए अंतिम तारीख एवं समय: **27.03.2020, 17:30 घंटे** , भा मा स

1.1.3 परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए कोटेशन्स को एक लिफ़ाफ़े पर " स्वतंत्र मूल्यांकन / तकनीकी / वाणिज्यिक बिड " ( ईसीजीसी लिमिटेड ) लिख कर प्रस्तुत किया जाए.

1.2 तकनीकी बिड एवं वाणिज्यिक बिड को पूर्ण विवरण सहित सील बंद लिफाफे में , महाप्रबंधक ( लेखा एवं वित्त ) को संबोधित करते हुए उक्त निर्धारित अवधि के भीतर , ईसीजीसी लिमिटेड, निर्मल बिल्डिंग, 5 वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट , मुंबई – 400021, भारत , में प्रतुत किया जाए.

**2. सन्दर्भ एवं वितरण की शर्तें** निम्नानुसार होगी :

**क. <u>सन्दर्भ शर्तें</u>**

**2.1 <u>ईसीजीसी</u>**

<u>अनुलग्नक</u>

ख. **<u>वितरण :</u>**

क) नियुक्ति के छह हफ़्तों के भीतर उक्त 2.1 "रिपोर्ट " के लिए कम्पनी की संतुष्टि के अनुसार भौतिक एवं इलेक्ट्रोनिक रूप में अलग व्यापक विवरण प्रस्तुत करें.

ख) मुख्य निष्कर्षों / सुझावों पर प्रबंधन वर्ग, निदेशक मंडल एवं यदि आवश्यक हुआ तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के समक्ष एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना होगा.

**3. <u>दोहरा बिड अनुबंध प्रणाली</u>**

क) तकनीकी बिड एवं वाणिज्यिक बिड पर दोनों में विधिवत अलग अलग हस्ताक्षर कर एक ही लिफाफे पर संयुक्त रूप से " स्वतंत्र मूल्यांकन / तकनीकी / वाणिज्यिक बिड " लिख कर प्रस्तुत किया जाए.

ख) यदि बिड विधिवत रूप से भरा न हो अथवा अपूर्ण हो तो उसे नामंजूर किया जा सकता है. डाक विलंबों अथवा छुट्टियों सहित किसी अन्य कारण से विलम्ब अथवा निर्धारित अवधि के भीतर बिड की अप्राप्ति के लिए कम्पनी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी .

**4. <u>तकनीकी पात्रता मानदंड</u>**

बोलीकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा :

क) बोलीकर्ता की कम्पनी का लिमिटेड कम्पनी होना अनिवार्य है एवं भारत में उसके स्वयं की स्थापना होनी चाहिए.

ख) दिनांक 31 मार्च 2019 तक कम से कम दस वर्षों तक बोलीकर्ता का परामर्श कार्य का स्वयं का कारोबार होना चाहिए.

ग) बोलीकर्ता को भारत अथवा विदेश में बीमा / बैंकिंग कंपनियों / वित्तीय संस्थानों के लिए परामर्श कार्य / अनुबंध ( कम से कम 5 इस प्रकार के संगठन ) सौंपे गए होने चाहिए. भारत में बीमा कम्पनी के लिए इसी प्रकार के परामर्श कार्य को वरीयता दी जायेगी.

घ) बोलीकर्ता कम्पनी का , पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभकारी ईकाई होना अनिवार्य है.

ङ) मूल्यांकन का मानदंड :-

i. कम्पनी का आकार 50 करोड़ रु अथवा उससे अधिक का होना चाहिए : बोलीकर्ता का पण्यावर्त – पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम 50 करोड़ का वित्तीय पण्यावर्त होना चाहिए.

ii. पिछले वर्षों में पूरे किये गए इसी प्रकार के कार्यों की संख्या : बीमा , बैंकिग एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में समान प्रकार के परामर्श कार्यों का विवरण. यहाँ केवल उन्हीं कार्यों का उल्लेख किया जाए जहाँ , जिस कम्पनी / फर्म के लिए यह कार्य पूरा किया हो , उसकी निवल मालियत सम्बंधित कार्य के लिए अनुबंध की तारीख के पहले के वित्त वर्ष के दौरान 250 करोड़ रु अथवा उससे अधिक हो. उनके द्वारा कम से कम इसी प्रकार के दो कार्यों को पूरा किया गया हो.

iii. आवरित उद्योगों की संख्या एवं प्रकृति.

iv. टीम का आकार : बोलीकर्ता के पास सम्बंधित कार्य / र्यों के लिए प्रमाणन के साथ कम से कम 5 व्यावसायिक कर्मचारी हों ( मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए 2 प्रमाणपत्रों वाले कर्मचारी को 1 ही माना जाएगा. ).

v. टीम के मुख्य प्राधिकारी : सम्बंधित कार्य / यों में प्रमाणन के साथ प्रस्तावित टीम में एक सदस्य का होना अनिवार्य है.

vi. टीम लीडर का अनुभव : ईसीजीसी के लिए प्रस्तावित कार्य में शामिल परियोजना प्रमुख को प्रबंधन परामर्श कार्य के लिए - कम से कम पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

vii. अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के साथ सम्बन्ध , यदि कोई हो तो.

viii. आर्थिक अनुसन्धान टीम के सदस्य एवं श्रमबल

ix. क्या एजेंसी की इक्विटी कैपिटल रिसर्च टीम है.

x. अनुसन्धान एवं अन्य मुख्य परिचालन क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व का अनुपात.

xi. एजेंसी के जिन क्षेत्रों में विशेष कार्य हो रहा है उन क्षेत्रों का उल्लेख करें.

xii. भारत में कार्य करने वाली अनुसन्धान टीम की अवधि.

xiii. क्या एजेंसी का ग्राहक अनुकूल अनुसन्धान स्वरुप है.

xiv. पिछले वित्त वर्ष के दौरान पूर्ण किये गए क्षेत्र / उद्योगवार अनुसन्धान.

xv. पद्धति एवं दृष्टिकोण पर प्रस्तुतिकरण :निष्पादित की जाने वाली विभिन्न क्रियाकलापों के विवरणों, प्रयास अनुमानों , समय सीमा , लगाया गया श्रमबल आदि सहित तकनीकी प्रस्तावों एवं प्रस्तुतिकरणों के ज़रिये ईसीजीसे की परियोजना आवश्यकताओं की गहन समझ की प्रस्तुति .

**5. वाणिज्यिक बिड मूल्यांकन :**

तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात पात्र बोलीकर्ताओं के वाणिज्यिक बिडों को खोला जाएगा.

**6. लिफाफा**

6.1 बिड में पात्रता एवं अन्य निबंधन एवं शर्तों का मूल्यांकन किया जाएगा

6.2 एक बार यदि यह प्रस्तुत कर दिया जाता है तो विवरणों में किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा

6.3 बिड में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए;

(i) कम्पनी के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम एवं पदनाम एवं मोहर सहित हस्ताक्षर एवं आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न हों.

(ii) इस प्रकार के कार्यों को किये जाने के दस्तावेजी सबूत एवं अन्य संगत अनुलग्नकों के साथ कम्पनी का प्रोफाइल.

(iii) व्यावसायिकों की सूची एवं इस परियोजना कार्य में शामिल व्यावसायिकों का संक्षिप्त विवरण.

(iv) कार्य की सीमा के सम्बन्ध में कम्पनी को प्रदान की जाने वाली इस प्रकार की सेवा के लिए प्रस्तावित पद्धति / दृष्टिकोण .

(v) कंपनियों से पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त प्रमाण पत्र ( कम से कम 3-4 )

(vi) अनुमानों सहित कोई अन्य जानकारी जिसे बोलीकर्ता ( परामर्शकार्य टीम ) महत्वपूर्ण मानता हो परन्तु जिसका प्रस्ताव में कहीं उल्लेख न किया गया हो , एवं जिससे कम्पनी एजेंसी / परामर्शदाता की क्षमता का मूल्यांकन कर सके .

6.4 बोलीकर्ताओं / कंपनियों द्वारा बिडों में संशोधन , यदि कोई हो तो , स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए , यदि बिड खोलते समय इस प्रकार के संशोधन दिखें तो इसका उल्लेख किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार के संशोधनों पर उस कम्पनी / बोलीकर्ता के उस कार्यपालक के हस्ताक्षर हों जिसने बिड पर हस्ताक्षर किया है.

6.5 सन्दर्भ शर्तों के लिए परामर्श सेवाओं के लिए व्यावसायिक शुल्क जिसे इस दस्तावेज़ में परिभाषित किया गया है , को कम्पनी के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर सहित प्रस्तुत किया जाए. लागू करों को छोड़ कर, मूल्य को भारतीय रु में ही कोट किया जाए.

6.6 वाणिज्यिक शर्तें ( उदा व्यावसायिक शुल्क ) **निश्चित मूल्य आधार** पर निर्धारित होंगी. मूल्य में . करों को छोड़ कर सभी प्रकार के लागत शामिल होंगे. करों के अलावा मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा.

**7. बिडों का मूल्यांकन :**

सही पाए गए बिडों की कम्पनी द्वारा मूल्यांकन / जांच एवं तुलना की जायेगी. मूल्यांकन पद्धति के चुनाव का अधिकार ईसीजीसी का होगा एवं किसी भी बोलीकर्ता को इसके मानदंड अथवा मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रकटन के लिए कम्पनी बाध्य नहीं होगी.

**8. <u>वाणिज्यिक पहलुओं का मूल्यांकन</u>**

क) यह बोलीकर्ताओं के हित में होगा कि वे प्रस्ताव के समय सबसे न्यून कोटेशन प्रस्तुत करें क्यों कि कम्पनी किसी भी प्रकार का मोलभाव नहीं करेगी.

ख) बिड में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं है.

ग) सफल तकनीकी बोलीकर्ताओं को एल1 , एल2 , एवं एल4 आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा एवं जहाँ एल1 में उसे रखा जाएगा जिसकी प्रस्ताव सबसे कम हो.

**9. <u>परामर्शदाता / एजेंसी का चयन</u>**

परामर्शदाता / एजेंसी का चयन पूरी तरह से लागत पर आधारित नहीं होगा

**10. <u>ईसीजीसी लिमिटेड से संपर्क :</u>**

बिड को खोलने से लेकर बोलीकर्ता ( परामर्शदाता ) विक्रेता के अंतिम चयन तक कोई भी बोलीकर्ता बिड से सम्बंधित किसी भी मामले पर कम्पनी से संपर्क नहीं करेगा. बिल के मूल्यांकन , बिड तुलना अथवा अनुबंध देने के निर्णय को प्रभावित करने के लिए कम्पनी पर प्रभाव डालने के लिए बोलीकर्ता द्वारा किया गया कोई भी प्रयास का परिणाम उसके बिड को नामंजूरी के रूप में हो सकता है.

**11. <u>ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकार</u>**

क. कम्पनी का अधिकार होगा कि वह किसी भी कारण स्वरुप कार्यक्षेत्र को रद्द, संशोधित अथवा पुनर्निर्धारित करे.

ख. कम्पनी को अधिकार है कि वह अनुबंध प्रदान करने के पहले किसी भी समय प्रभावित बोलीकर्ता अथवा बोलीकर्ताओं के प्रति बिना किसी देयता अथवा कम्पनी की कार्यवाही के लिए प्रभावित बोलीकर्ता अथवा बोलीकर्ताओं को स्पष्टीकरण देने के बिना किसी दायित्व के , किसी भी बिड को मंजूर अथवा नामंजूर करे अथवा बिडिंग प्रक्रिया को ही समाप्त कर दे. आगे कम्पनी को अधिकार है कि इस दस्तावेज़ में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों में संशोधन करे.

ग. कम्पनी को अधिकार है कि वह शर्तों में संशोधन अथवा यदि कम्पनी प्रस्तावित मूल्य से संतुष्ट न हो तो के सम्बन्ध में बोलीकर्ता से संशोधित मूल्य बिड प्राप्त करे.

घ. कम्पनी को अधिकार है कि वह सम्पूर्ण बिड अथवा आंशिक बिड स्वीकार करे.

## <u>भाग 'ख' : सामान्य निबंधन एवं शर्तें</u>

**1. <u>कार्य पूरा करने की अवधि :</u>** सम्पूर्ण कार्य को , इस दस्तावेज़ में उल्लिखित कार्य के लिए एजेंसी की नियुक्ति की तारीख से चार से छह हफ़्तों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.

**2. <u>भुगतान की शर्तें :</u>** भुगतान की शर्तें निम्नानुसार होंगी :

- मसौदा रिपोर्ट की प्रस्तुति पर 50%
- अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुति एवं प्रबंधन / निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण के समय 50%

**3. <u>लागू क़ानून :</u>** अनुबंध भारत में लागू क़ानून के अनुकरण में तैयार किया जाएगा.

**4. <u>प्रचार :</u>** कम्पनी के नाम पर बोलीकर्ता परामर्शदाता द्वारा किया गया किसी भी प्रकार के प्रचार के लिए / के पूर्व ईसीजीसी लिमिटेड की लिखित अनुमति प्राप्त की जानी होगी.

**5. <u>बोलीकर्ता की प्रमाणिकता</u>** : बोलीकर्ता परामर्शदाता / एजेंसी द्वारा अनुबंध में उल्लिखित अनुसार निष्पादन की प्राप्ति के लिए उपलब्ध पद्धतियों एवं आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए अनुबंध में विनिर्दिष्ट अनुसार सभी अनुबंध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार एवं प्रतिबद्ध है.

**6. <u>बोलीकर्ता के दायित्व</u>**

क) बोलीकर्ता परामर्शदाता का दायित्व है कि अनुबंध के अनुसार सेवाएं प्रदान करें.

ख) बोलीकर्ता परामर्शदाता द्वारा कम्पनी से, उनके दायित्वों के निर्वाह के लिए प्राप्त सभी आंकड़े एवं जानकारी को गोपनीय रखी जानी चाहिये एवं कम्पनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना उसे किसी भी तृतीय पार्टी के समक्ष उजागर न किया जाए.

ग) बोलीकर्ता परामर्शदाता को कम्पनी के अधिकारियों के साथ तालमेल से कार्य करना होगा , अपने प्राधिकार में कार्य करना होगा एवं कम्पनी द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए गतिविधियों को कार्यान्वित करना होगा.

घ) अपने कार्मिकों एवं प्रतिनिधियों की गतिविधियों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी बोलीकर्ता परामर्शदाता की होगी एवं उनके द्वारा की गयी किसी भी चूक के लिए भी वही ज़िम्मेदार होगा.

**7. <u>परियोजना प्रबंधन :</u>**

7.1 कम्पनी एवं बोलीकर्ता परामर्शदाता द्वारा आदेश की स्वीकृति के तुरंत पश्चात एक परियोजना प्रबंधक को नामित किया जाएगा जो परियोजना के लिए एकल संपर्ककर्ता के रूप में कार्य करेगा. तथापि उद्देश्य में शीघ्रता लाने के लिए कम्पनी एवं बोलीकर्ता परामर्शदाता द्वारा अन्य व्यक्तियों के भी विवरण प्रदान किये जायेंगे.

7.2 परियोजना को मुंबई में कार्यान्वित एवं सुपुर्द किया जाए. मुंबई के बाहर दौरे , यदि कम्पनी के निर्देशों के अनुसार आवश्यक हुआ तो , के लिए व्यय का वहन कम्पनी द्वारा किया जाएगा.

**8. <u>अनुबंद दस्तावेजों एवं जानकारी का उपयोग</u>**

क) बोलीकर्ता परामर्शदाता द्वारा कम्पनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना , बोलीकर्ता द्वारा अनुबंध के निष्पादन के लिए नियुक्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को , अनुबंध के सम्बन्ध में अथवा अनुबंध के किसी प्रावधान के सम्बन्ध में अथवा कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत स्पष्टिकरण, योजना, कारोबार योजना अथवा जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा. इस प्रकार के किसी भी नियुक्त व्यक्ति के समक्ष किया जानेवाला कोई प्रकटन उसी सीमा तक होगा जिस सीमा तक इस अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक हो.

ख) बोलीकर्ता परामर्शदाता द्वारा कम्पनी के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना , अनुबंध के निष्पादन के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी दस्तावेज़ अथवा जानकारी का उपयोग नहीं किया जाएगा.

ग) अनुबंध के अलावा कोई अन्य दस्तावेज़ कम्पनी की संपत्ति मानी जायेगी एवं कम्पनी द्वारा मांगे जाने पर अनुबंध के अधीन बोलीकर्ता के निश्पादा के पूरा होने पर कम्पनी को वापस लौटा दिए जायेंगे ( सभी प्रतियाँ ).

**9. <u>अनुबंध संशोधन :</u>** अनुबंध की शर्तों में दोनों ही पार्टियों द्वारा लिखित संशोधन के अलावा किसी अन्य प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा.

**10. <u>कार्य :</u>** बोलीकर्ता परामर्शदाता / एजेंसी द्वारा कम्पनी के लिखित अनुमोदन के बिना पूर्ण अथवा आंशिक कार्य , अनुबंध के अधीन निर्वाह किये जाने वाले उसके दायित्वों को किसी अन्य कम्पनी को नहीं सौंपा जाएगा अथवा आउटसोर्स किया जाएगा.

**11. <u>भ्रष्ट तथा / अथवा धोखाधड़ी प्रथाएं :</u>**

केंद्रीय सतकता आयोग ( सी वी सी ) के निर्देशों के अनुसार यह आवश्यक है कि बोलीकर्ता परामर्शदाता द्वारा अनुबंध के लिए परामर्शदाता / एजेंसी के रूप में चयन एवं अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान उच्च स्तर के आचार संहिता का पालन किया जाएगा. इस नीति के अनुकरण में ;

(i) **" भ्रष्ट प्रथा "** से तात्पर्य है कि अनुबंध हेतु चयन प्रक्रिया अथवा कार्यान्वयन में सार्वजनिक अधिकारी के किसी भी कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए मूल्य के रूप में किसी प्रकार की वस्तु कि भेंट किया जाना अथवा प्राप्त करना;

**एवं**

**(ii)** **"धोखाधड़ी की प्रथाएं"** का तात्पर्य है कि अनुबंध के चयन प्रक्रिया अथवा कार्यान्वयन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत प्रस्तुति करना एवं बोलीकर्ताओं ( बिड की प्रस्तुति के पूर्व एवं प्रस्तुति के पश्चात ) के बीच

व्याप्त कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बोली मूल्य स्थापित करने और मुक्त और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से निगम को वंचित रखना जैसे कार्य शामिल हैं, जिससे कम्पनी को हानि हो सकती है. कम्पनी इस प्रकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर सकती है यदि यह पाया जाए कि समीक्षाधीन अनुबंध के लिए बोलीकर्ता द्वारा भ्रष्ट एवं धोखाधड़ी में शामिल है;

ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा किसी भी एजेंसी को अनिश्चित काल के लिए अथवा किसी सीमित समय के लिए अपात्र धोषित किया जा सकता है , यदि किसी भी समय यह निर्धारित हो जाए कि फर्म अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में अथवा अनुबंध के कार्यान्वयन के लिए भ्रष्ट अथवा धोखाधड़ी में लिप्त है.

**12.** **<u>गोपनीयता एवं सुरक्षा उपाय</u> :** सफल बोलीकर्ता परामर्शदाता / एजेंसी द्वारा कम्पनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार से इस अनुबंध के अधीन कम्पनी के किसी भी स्थान में विकसित डिजाईन किये गए , विकसित किये गए अथवा कार्यान्वित किये गए सुरक्षा उपायों के विवरण का प्रकाशन अथवा प्रकटन नहीं करेगा.

**13.** **<u>विवादों का निवारण :</u>** कम्पनी एवं बोलीकर्ता परामर्शदाता द्वारा , इस अनुबंध के अधीन अथवा के सम्बन्ध में उनके बीच उत्पन्न किसी भी समझौते , असहमति अथवा विवाद का आपस में सौहार्द पूर्वक निवारण के लिए हरसंभव उपाय करेंगे. यदि इस प्रकार के अनौपचारिक वार्ता के आरम्भ के तीस दिनों के पश्चात यदि कम्पनी एवं बोलीकर्ता आपस के विवाद को सुलझाने में असमर्थ रहते हैं तो , कोई भी पार्टी चाहे तो इसे औपचारिक मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है.

**14.** **<u>मध्यस्थता</u> :** अनुबध के सम्बन्ध में अथवा उसके शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में उत्पन्न दावे को दोनों ही पार्टियों की स्वीकृति से मध्यस्थ अथवा एक से अधिक , अधिकतम तीन मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है , इसमें दोनों ही पार्टियाँ मध्यस्थों को नामित करने के लिए मुक्त हैं. पार्टियों द्वारा नामित दोनों मध्यस्थ द्वारा तीसरे मध्यस्थ को नामित किया जाएगा जो कि कार्यवाही का अध्यक्ष होगा. मध्यस्थता कार्यवाही पर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 , लागू होगा एवं इसका स्थान दोनों ही पार्टियों द्वारा आपस में निश्चित किया गया स्थान , मुख्य रूप से मुंबई में होगा.

**15.** **<u>न्यायालय न्याय क्षेत्र</u> :** अनुबंध पर भारतीय क़ानून लागू होगा . अनुबंध से उत्पन्न विवादों को मात्र मुंबई में स्थित न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जाएगा , किसी अन्य न्यायालय में इन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता .

## <u>भाग 'ग' : घोषणा</u>

हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत उक्त जानकारी हर दृष्टी से पूर्ण एवं सही है. हमें ज्ञात है कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी में कोई विसंगति या अपूर्णता पाई जाती है, तो हमारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा.

**स्थान :**

**दिनांक :** **मोहर** **(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता )**

***Disclaimer: In case of any discrepancies, please refer English version.**